

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4169]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 2018/कार्तिक 1, 1940	
No. 4169]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2018/KARTIK 1, 1940	

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5374(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 7 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1831(अ), दिनांक 3 जुलाई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में धारा 4(डी) के अंतर्गत 'केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त' शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 12 के बदले निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:

क्र. सं.	अधिसूचना के रूप में पदनाम	प्रस्तावित संशोधन
12	प्रधान सचिव, गुजरात सरकार	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
		गुजरात सरकार ।

[सं. यू-16012/01/2017-सा.सु.-I]

मनीश गुप्ता, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2018

**S.O. 5374(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment S.O. No. 1831 (E) dated the 07<sup>th</sup> May, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated the 7<sup>th</sup> May, 2018.

6195 GI/2018 (1)

In the said notification under the heading "Appointed by the Central Government under Section 4 (d)", against Sl. No. 12 the following entry shall be substituted namely:-

Sl. No.	Designation as notified	Proposed Amendment
12.	Principal Secretary to the Govt. of Gujarat.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary to the Govt. of Gujarat.

[No. U-16012/01/2017-SS-I] MANISH GUPTA, Jt. Secy.